


राजस्व अपील अथवा अपील
 न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
 अलवर (राज०)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही
12.10.21	<p>पत्रावली केबाहुरी सरिस्ते रिपोर्ट का अपलोडिंग क्रिया/अपील के साथ संलग्न प्रिग्राफ (अधिकारियों की दफा-5 स्थिति) पर अन्तर्गत धारा-96 CPC पर अपील/अपील/अपील को सुना गया। अपील Subject to Limitation B 96 CPC दर्ज रजिस्टर की जाये। अपील के साथ संलग्न अन्तर्गत स्थिति प्रिग्राफ पर अपील/अपील/अपील को स्वयंसेवक सुना तथा तहत अदालत सहमत वलक्टर, धानसूर के आदेश दिनांक 17.12.19 स्थिति अपील के साथ संलग्न प्रिग्राफ/अपील का अपलोडिंग क्रिया गया। अपील/अपील/अपील की स्वयंसेवक पर मनन स्थिति अपील के साथ संलग्न प्रिग्राफ का अपलोडिंग करने के उपरान्त अपील अपील/अपील/अपील रूप से स्वीकार की जाये अपील/अपील/अपील के सहित अदालत के सहित धारा-96 के निर्देश दिये जाते हैं। तहत अदालत ACEM धानसूर द्वारा अपील/अपील/अपील आदेश दिनांक 17.12.19 को पारित किया गया है जो कि आदेश तहत प्रभाव में है। अन्तर्गत धारा 212 AT ACT के अनुसार प्रिग्राफ-पत्र 39 CPC के आदेश 39 नियम 3 (3) के अनुसार प्रिग्राफ-पत्र अन्तर्गत धारा 212 AT ACT का निस्तारण 30 दिवस में हो जाना चाहिये, परन्तु तहत अदालत द्वारा उक्त आदेश की पालना नहीं की गई है। अतः तहत अदालत सहमत वलक्टर, धानसूर के आदेश दिनांक 17.12.19 अन्तर्गत प्रिग्राफ/अपील/अपील का प्रचलन स्थिति करते हुये तहत न्यायालय ACEM धानसूर को उनके यहां प्रिग्राफ/अपील/अपील प्रिग्राफ-पत्र 212 AT ACT का निस्तारण CPC के आदेश 39 नियम 3 (3) में दी गई समय सीमा 30 दिवस के अन्दर दिये जाने के निर्देश दिये जाते हैं। अपील/अपील/अपील दिनांक के तहत अदालत में उपस्थित होना सुनिश्चित करें। पत्रावली प्रिग्राफ/अपील/अपील लेबर, नम्बर से वृत्त की जाये। धाद तकमिल आहला दारिद्र्य/दुखतर की जाये।</p>


 भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
 राजस्व अपील अधिकारी, अलवर